

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनांक 17.02.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में NBW वांछित/ वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही 10 वारंटी गिरफ्तार

अभियान की कार्यवाही वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध निरंतर रहेगी जारी: एस0 पी0 संतकबीरनगर

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा वारंटी (एनबीडब्लू) अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए गये अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसका विवरण थानावार निम्नवत है-

थाना महुली पुलिस द्वारा 04 वारण्टीगण नाम पता विवरण

01. उमेश पुत्र स्व0 चन्दूलाल उम्र करीब 26 वर्ष निवासी बेलवाडाड़ी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
02. इन्दल चौहान पुत्र गुनई चौहान उम्र करीब 34 वर्ष निवासी पड़रहा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
03. परशुराम चौहान पुत्र रामशुभग चौहान निवासी परशुराम चौहान पुत्र रामशुभग चौहान साकिन सांखी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

04. मीनू पत्नी दिलीप कुमार निवासी वार्ड नं0 6 शास्त्री नगर नगर पंचायत हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, हे0का0 पंकज यादव, का0 छोटेलाल, का0 मोहन चौहान, का0 रितेश यादव, का0 विनोद कुमार मौर्या, म0का0 पूजा चौहान।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 02 वारण्टीगण नाम पता विवरण

01. दूबर पुत्र हंसराज निवासी बेलहरकला थाना बेलहरकलाजनपद संतकबीरनगर।
 02. गौरीशंकर पुत्र लखराज निवासी जंगल बेलहर टोला पिपरी थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।
- *गिरफ्तारी टीम का विवरण-*** उ0नि0 श्री रामनयन आर्या, हे0का0 विजय सिंह, का0 राहुल कुमार, का0 रोहित कुमार,।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 02 वारण्टीगण नाम पता विवरण

01. मस्तराम पुत्र गंगा यादव निवासी बारीडीहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
 02. जगतनरायन गुप्ता पुत्र चन्द्रिका प्रसाद निवासी डेबरी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
- *गिरफ्तारी टीम का विवरण-*** उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, उ0नि0 श्री दिलीप कुमार, का0 अनिल प्रसाद का0 शरद कुमार राय, का0 संदीप यादव।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 02 वारण्टीगण नाम पता विवरण

01. सोचन पुत्र बगेदू निवासी सानी केवटलिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
 02. तेरही पत्नी बगेदू निवासी सानी केवटलिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
- *गिरफ्तारी टीम का विवरण-*** उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, , का0 अनुराग कुमार सिंह, पीआडी चन्द्रा देवी।

प्रेस नोट

***जनपद – संतकबीरनगर ***

दिनांक 17.02.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 11 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।*

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।*

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।*

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 114 वाहनों से 1,16,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17.02.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 114 वाहनों से 1,16,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

“ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामलों में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 6000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 17.02.2026 को माननीय न्यायालय जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व 6000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना विवरण:-

वादिनी मुकदमा श्रीमती शारजहां पत्नी मु0 इब्राहिम निवासी छपिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 08.07.2011 को थाना धनघटा पर अभियुक्तगण 01. इब्रार अहमद पुत्र शब्बीर अहमद 02. गुड्डू उर्फ जानिसार पुत्र शब्बीर निवासीगण छपिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादिनी का छप्पर उजाड़ने व मारपीट करते हुए गाली गलौज करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री डी0डी0 शुक्ल द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

सजा विवरण:-

एनसीआर नं0 224/011 धारा 323/504/506/427 भा0द0वि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 323 भा0द0वि0 के अपराध में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 500-500 रु0 के अर्थदण्ड, धारा 504 भा0द0वि0 के अपराध में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड, धारा 506 भा0द0वि0 के अपराध में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड, धारा 427 भा0द0वि0 के अपराध में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 500-500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा ।